

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

गरासिया पिता मिश्रीया कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द
बनाम

लालाराम पिता शीशराम कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 698/23

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये |
|-------------|---|---|
| 21.06.23 | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सुभाषनगर प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 449/3 रकबा 0.2428 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट रबीकार किया जाता है ग्राम सुभाषनगर प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 449/3 रकबा 0.2428 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द का कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जाये। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाडा)</p> | |

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 698 / 2023


दिनांक :- 21.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 698/2023 अनवान गरासिया पिता मिश्रीया कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द बनाम लालाराम पिता शीशराम कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, कालु पिता पन्ना कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, राधेश्याम पिता पन्ना कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, राधाकिशन पिता पन्ना कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, घनश्याम पिता पन्ना कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, प्रहलाद पिता कजोड़ कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, रामदयाल पिता कजोड़ कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, अमरसिंह पिता चंद्रमा कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, अणदीराम पिता मोहनीया रेगर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, रामसिंह पिता अमोलक पिता कजोड़ कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, कल्या पिता सकरीया पिता कजोड़ कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द, तहसीलदार जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम सुभाषनगर प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 449/3 रकबा 0.2428 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)